प्रेस विज्ञप्ति

प्रवर्तन निदेशालय का 34वां क्षेत्रीय अधिकारियों का त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) गुवाहाटी, असम में आयोजित



1. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 19 से 21 फरवरी 2026 तक गुवाहाटी, असम में अपने 34वें आंचलिक अधिकारियों के त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। तीन दिवसीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई। सम्मेलन में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से सभी विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधिक सलाहकार, सहायक विधिक सलाहकार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय इस क्षेत्र के रणनीतिक एवं परिचालन महत्व को दर्शाता है। पिछले दो से तीन वर्षों में निदेशालय ने उत्तर-पूर्व में अपने कार्यक्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इस अवधि में छह नए कार्यालय खोले गए हैं तथा क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों में कार्यालयों को स्थापित किया । आइज़ोल में भी एक कार्यालय को क्रियाशील बनाने के प्रयास प्रगति पर हैं। निदेशालय का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों में स्वयं के समर्पित कार्यालय परिसर स्थापित करना है। इस दिशा में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गत वर्ष उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रवर्तन संबंधी कार्यों-विशेषकर साइबर अपराध तथा मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित मामलों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षेत्र की म्यांमार एवं बांग्लादेश सीमाओं से निकटता के कारण इन अपराधों से जुड़े जोखिम अधिक हैं। निदेशालय के उस व्यापक उद्देश्य के अनुरूप, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जांच में तीव्र गति लाते हुए प्रभावी रूप से निष्कर्ष तक पहुँचाना है- जिस पर पूर्ववर्ती सम्मेलनों में भी चर्चा की गई है - गुवाहाटी में हुई विचार-विमर्श कार्यवाहियों का परिचालन एवं रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्व है।

3. पूर्ववर्ती त्रैमासिक सम्मेलन क्रमशः श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर तथा केवड़िया, गुजरात में आयोजित किए गए थे, जो जांच को सुदृढ़ करने तथा संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर निरंतर बल को दर्शाते हैं। 12 एवं 13 सितंबर, 2025 को श्रीनगर में 32वें त्रैमासिक सम्मेलन के आयोजन का निर्णय मुख्यतः कुछ माह पूर्व पहलगाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा वातावरण में विश्वास पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया था। सम्मेलन का सफल आयोजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की विचार-विमर्श बैठकों के लिए सुरक्षित, जीवंत एवं प्रगति की ओर उन्मुख है। 05 एवं 06 दिसंबर, 2025 को केवड़िया, गुजरात में आयोजित 33वें त्रैमासिक सम्मेलन में जांच को तीव्र गति से आगे बढ़ाने तथा मामलों का दक्षतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर विशेष बल दिया गया। सत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस के सर्वोत्तम उपयोग, फॉरेंसिक उपकरणों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओएसआईएनटी तकनीकों तथा डिजिटल संसाधनों के प्रभावी प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि साक्ष्य संकलन को सुदृढ़ किया जा सके, विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार किया जा सके तथा जटिल वित्तीय अपराधों की जांच को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जा सके।



4. 34वां आंचलिक अधिकारियों का त्रैमासिक सम्मेलन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व आयोजित अंतिम त्रैमासिक सम्मेलन है। अतः विचार-विमर्श में इस बात पर बल दिया गया कि लक्ष्यों की सार्थक उपलब्धि, जांचों का तार्किक निष्कर्ष, अभियोजन शिकायतों का समयबद्ध दर्ज़ किया जाना तथा कुर्की और दंड की कार्यवाहियों का विधिक रूप से टिकाऊ एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

5. आँकड़ों की वास्तविकता एवं एकरूपता सम्मेलन का प्रमुख विषय रहा। विचार-विमर्श में प्रवर्तन निदेशालय के मामलों के आंतरिक प्रबंधन की प्रणाली पर सटीक, सामंजस्यपूर्ण तथा वास्तविक समय में आकड़े दर्ज किए जाने पर बल दिया गया। क्षेत्रीय प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि ईसीआईआर, कुर्की, अभियोजन शिकायतें, पुष्टि आदेश तथा दंड से संबंधित आँकड़ों का आंतरिक मिलान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि निदेशालय का वार्षिक प्रदर्शन विश्वसनीय एवं सत्यापन योग्य आँकड़ों को परिलक्षित करे।

6. सम्मेलन में ईसीआईआर के निस्तारण की प्रगति तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत कुर्क की गई परिसंपत्तियों की स्थिति की समीक्षा की गई। लंबित जांचों को शीघ्र पूर्ण करने, उपयुक्त मामलों में अभियोजन शिकायतें दाखिल करने तथा कुर्क परिसंपत्तियों की पुष्टि, कब्जा और संपत्ति वापसी(प्रत्याहरण) से संबंधित मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। सम्मेलन में यह भी बल दिया गया कि पीएमएलए के अंतर्गत उपलब्ध महत्वपूर्ण वैधानिक शक्तियों के साथ उन्हें सावधानी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ प्रयोग करने की समान जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। अधिकारियों को परामर्श दिया गया कि वे प्रवर्तन कार्यवाहियों के प्रभाव के प्रति सजग रहें तथा समन और अन्य वैधानिक नोटिस स्पष्ट आवश्यकता और समुचित विचार के आधार पर ही विवेकपूर्ण ढंग से जारी करें।

7. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 500 अभियोजन शिकायतें दाखिल करने के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों से इसे प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करने का आग्रह किया गया। साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार रहने पर बल दिया गया। इस लक्ष्य में वृद्धि का उद्देश्य दीर्घकाल से लंबित जांचों को सक्रिय रूप से निष्कर्ष तक पहुँचाना तथा नई जांचों में लगने वाले समय को, असाधारण रूप से जटिल मामलों को छोड़कर, एक से दो वर्ष की युक्तिसंगत समय-सीमा में सीमित करना है। क्षेत्रों को अंतिम अभियोजन शिकायत दाखिल करने योग्य परिपक्व मामलों की पहचान करने तथा अनावश्यक विलंब को न्यूनतम रखने की सलाह दी गई। उभरते आर्थिक अपराधों की प्रवृत्तियों के प्रति निदेशालय की संवेदनशीलता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण नए मामलों की पहचान के महत्व पर भी बल दिया गया।

8. सम्मेलन के दौरान विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें सभी क्षेत्रों के स्तर पर समन्वित एवं केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है—

- **विदेशी परिसंपत्तियों का पता लगाना:**
 सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को विदेशों में, विशेषकर दुबई और सिंगापुर जैसे अधिकार-क्षेत्रों में स्थापित अपराध की आय का पता लगाने एवं उसे सुरक्षित करने के प्रयासों को तीव्र करने के निर्देश दिए गए। लेयरिंग संरचनाओं तथा विदेशी परिसंपत्तियों के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग माध्यमों, वित्तीय खुफिया सूचनाओं तथा सीमा-पार धन प्रवाह के विश्लेषण के अधिक उपयोग पर बल दिया गया।

- **व्यापार की छद्म में संचालित पेशेवर धन शोधन माध्यम:** सम्मेलन में व्यापार चालानों में हेरफेर, आयात का कम मूल्यांकन तथा व्यापार-आधारित धन शोधन की अन्य तकनीकों से संबंधित मामलों की निकटता से जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अधिकारियों को सीमा शुल्क तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर वैध व्यापार लेन-देन के रूप में छिपाए गए अवैध पूंजी निर्गम का पता लगाने तथा विभिन्न अनुसूचित अपराधों से संबंधित अपराध की आय की पहचान करने की सलाह दी गई।

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का दुरुपयोग:**
 कॉरपोरेट देनदारों, समाधान पेशेवरों, ऋणदाताओं की समिति के सदस्यों तथा अन्य हितधारकों के बीच संभावित मिलीभगत के मामलों को विशेष निगरानी एवं जांच की श्रेणी में रखा गया। यह बल दिया गया कि ऐसे मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, जहाँ आईबीसी ढांचे का उपयोग कुर्की कार्यवाहियों को निष्फल करने या अपराध की आय को वैध ठहराने के लिए किया जाता है।

- **डिजिटल अरेस्ट ठगी एवं साइबर धोखाधड़ी:**
 डिजिटल अरेस्ट ठगी तथा अन्य साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मामलों की जांच- विशेषकर संगठित गिरोहों, सीमा-पार तत्वों तथा बड़े पैमाने पर पीड़ितों से संबंधित मामलों में प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डिजिटल फॉरेंसिक तथा वित्तीय लेन-देन शृंखला के विश्लेषण के महत्व को पुनः रेखांकित किया गया।

- **अवैध सट्टेबाजी एवं ऑनलाइन गेमिंग मंच:**
 अवैध सट्टेबाजी अनुप्रयोगों तथा अनियमित ऑनलाइन गेमिंग मंचों के प्रसार को एक उभरती चुनौती के रूप में पहचाना गया। अधिकारियों को ऐसे मंचों के पीछे कार्यरत वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई, जिनमें भुगतान गेटवे, म्यूल खाते तथा विदेशी संचालक शामिल हैं।

- **मादक पदार्थ तस्करों के वित्तीय नेटवर्क एवं हवाला संबंध:**
 मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए तथा 'नशा मुक्त भारत' के सरकारी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, क्षेत्रों को मादक पदार्थ गिरोहों की वित्तीय संरचना को लक्ष्य बनाने के निर्देश दिए गए। मादक पदार्थों से अर्जित आय से जुड़े हवाला माध्यमों, नकद वाहकों तथा सीमा-पार प्रेषण मार्गों की पहचान को प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया।

- **शेयर बाजार में हेरफेर के माध्यम से धन शोधन:**

शेयर मूल्यों की कृत्रिम वृद्धि, परिपत्र कारोबार तथा प्रतिभूति बाजार के माध्यम से अपराध की आय के शोधन हेतु मुखौटा संस्थाओं के उपयोग से संबंधित मामलों को उच्च जोखिम क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया। अधिकारियों को ऐसे जटिल तंत्रों का पता लगाने के लिए विस्तृत वित्तीय एवं फॉरेंसिक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- **राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों हेतु विदेशी हस्तक्षेप एवं अवैध वित्तपोषण:**

 सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया गया कि ऐसे विदेशी वित्तपोषण माध्यमों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है, जिनका उपयोग अवैध प्रचार-प्रसार, अस्थिरता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों अथवा अन्य राष्ट्र-विरोधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय इकाइयों को संदिग्ध सीमा-पार वित्तीय प्रवाह की निकटता से जांच करने तथा जहाँ विधिक रूप से टिकाऊ हो, वहाँ वैधानिक ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त मामला दर्ज करने की सलाह दी गई।



9. सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा संस्थागत सॉफ्ट पावर के विकास के महत्व को भी रेखांकित किया गया। इस पर बल दिया गया कि प्रवर्तन निदेशालय विदेशी समकक्ष एजेंसियों के लिए एक विश्वसनीय, पेशेवर एवं सक्रिय साझेदार के रूप में कार्य करे। अधिकारियों को औपचारिक सहयोग माध्यमों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिनमें पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) अनुरोध, न्यायालयीय प्रार्थना-पत्र तथा नामित केंद्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से संचालित प्रत्यर्पण प्रक्रियाएँ शामिल हैं। विदेश स्थित साक्ष्यों के प्रभावी संकलन तथा वहां स्थित परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध मसौदा-तैयारी, सतत अनुवर्ती कार्रवाई और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय पर बल दिया गया।

10. साथ ही, अनौपचारिक एवं बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से निदेशालय की बढ़ती सहभागिता को भी रेखांकित किया गया। अधिकारियों को भारतपोल के माध्यम से इंटरपोल चैनलों का उपयोग करने, जिसमें उपयुक्त मामलों में पर्पल नोटिस सहित विभिन्न रंग नोटिस जारी करना शामिल है, एग्मोंट ढांचे के अंतर्गत वित्तीय खुफिया आदान-प्रदान तथा एआरआईएन-एपी और ग्लोब-ई नेटवर्क जैसे मंचों के माध्यम से परिसंपत्ति अनुगमन सहयोग का लाभ उठाने की सलाह दी गई। विदेशी प्रवर्तन समकक्षों के साथ प्रत्यक्ष पेशेवर संबंध स्थापित करने के महत्व पर बल दिया गया, क्योंकि प्रारंभिक अनौपचारिक संपर्क प्रायः त्वरित खुफिया साझाकरण को सुगम बनाता है और औपचारिक अनुरोधों की प्रक्रिया को सहज बनाते हुए सीमा-पार धन शोधन तथा परिसंपत्ति की वसूली से संबंधित मामलों के प्रभावी निपटान में निदेशालय की क्षमता को सुदृढ़ करता है।

11. सम्मेलन के दौरान सभी आंचलिक कार्यालयों ने अपने प्रदर्शन, प्रमुख जांचों, उत्पन्न चुनौतियों तथा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं। सांख्यिकीय आंकड़ों की व्यापक समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि कार्यात्मक इकाइयों (फंक्शनल यूनिट) के उप निदेशकों को आंकड़ों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी बनाया जाए और 31.03.2026 तक आंकड़ों के मिलान को सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

12. सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के अपराध रुझानों तथा परिचालन परिस्थितियों की विविधता परिलक्षित हुई। अनेक क्षेत्रों ने साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट ठगी, मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धन शोधन, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के अनुगमन, भूमि एवं खनन घोटालों, भ्रष्टाचार तथा बैंक धोखाधड़ी मामलों पर अधिक बल दिए जाने की सूचना दी। उल्लेखनीय उपलब्धियों में बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियों की कुर्की, मादक पदार्थ गिरोहों का ध्वस्तीकरण, क्रिप्टो वॉलेट को फ्रीज करना, पीड़ितों को परिसंपत्तियों की वापसी तथा उच्च-रखरखाव वाली परिसंपत्तियों का रणनीतिक निस्तारण शामिल रहे। आंचलिक कार्यालयों ने नैटग्रिड और फिननेट जैसे खुफिया मंचों के बढ़ते उपयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्रों का अधिक सहयोग लेने तथा उभरते जोखिमों के अनुरूप मामलों के प्रकारों में विविधता लाने के प्रयासों को भी रेखांकित किया। साथ ही, अभियोजन स्वीकृति में विलंब, कुछ राज्यों में राज्य पुलिस द्वारा सहयोग का अभाव, सीमित मानवबल, दूरस्थ क्षेत्रों में लॉजिस्टिक बाधाएँ, डिजिटीकृत भूमि अभिलेखों की कमी, मामलों के सत्र न्यायालय में समर्पण में विलंब तथा अस्थिर डिजिटल परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

13. क्षेत्रीय विशेष निदेशकों ने समापन टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए अंतःआंचलिक समन्वय, ईसीआईआर से अभियोजन शिकायत में सांख्यिकीय रूपांतरण में सुधार, ईडीओटीएस प्रतिवेदन प्रारूपों के युक्तिकरण, अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण तथा कुर्क परिसंपत्तियों के कब्जा और वापसी पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मुद्दों, विधिक प्रावधानों की प्रयोज्यता, समर्पित पीएमएलए न्यायालयों के विस्तार तथा लंबित फेरा मामलों के निस्तारण पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रत्येक प्रस्तुति के उपरांत हुई विस्तृत विश्लेषणात्मक चर्चा ने आंचलिक कार्यालयों के मध्य परस्पर अध्ययन को संभव बनाया तथा जांच, अभियोजन, परिसंपत्ति प्रबंधन, निर्णयन और आंकड़ा प्रशासन में एकरूप मानकों को सुदृढ़ किया।

14. विशेष निदेशक (निर्णयन) द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में फेरा एवं फेमा से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सत्र में प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़ों की समीक्षा की गई तथा पूर्ववर्ती त्रै मासिक सम्मेलनों की उस प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया गया जिसके अनुसार 31 मार्च, 2026 तक सभी

लंबित फेरा मामलों का निर्णयन पूर्ण किया जाना है। साथ ही, निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में क्षेत्र-वार आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि उपयुक्त निवारक उपाय किए जा सकें। न्यायनिर्णयन अनुभाग द्वारा लंबित फेरा मामलों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है और अब उनके स्वरूप, परिमाण तथा प्रक्रियात्मक स्थिति का स्पष्ट आकलन उपलब्ध है। प्रस्तुति में संपत्ति वापसी दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों तथा फेरा और फेमा के मध्य संक्रमण प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले विधिक ढांचे, जिसमें संरक्षण उपबंध तथा फेमा के अंतर्गत परिसीमा संबंधी पहलू शामिल हैं, का भी विवरण दिया गया। यह भी चर्चा की गई कि जहां पक्षकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाएँ, वहाँ अनावश्यक वाद-विवाद से बचने तथा तकनीकी सिविल उल्लंघनों से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने के लिए फेमा के अपराधों के कंपाउंडिंग की अधिकतम अनुमति दी जानी चाहिए। निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित संपत्ति वापसी संबंधी दिशा-निर्देशों पर क्षेत्रों से प्राप्त टिप्पणियाँ शीघ्र उपलब्ध कराई जाएँ। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 31 मार्च तक निर्णयन संबंधी लंबित कार्यों का समापन सुनिश्चित किया जाए तथा अधिवक्ता शुल्क और निर्णयन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के संबंध में राजस्व विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए।

15. तीसरे दिन, सम्मेलन में अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा विषयगत प्रस्तुतियाँ दी गईं ताकि अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत किया जा सके और अतिव्यापी क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में संस्थागत समझ को गहरा किया जा सके।

- **आईबीबीआई द्वारा आईबीसी-पीएमएलए अंतर्संबंध पर प्रस्तुति:**

 भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया तथा एनसीएलटी में आवेदन स्वीकृति से लेकर समाधान योजना की अनुमोदन प्रक्रिया तक की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का विवरण दिया। प्रवर्तन निदेशालय के कार्य से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, जिनमें धारा 14 के अंतर्गत स्थगन (मोराटोरियम), धारा 29ए के अंतर्गत अयोग्यता, धारा 32ए के अंतर्गत सशर्त संरक्षण तथा परिहार लेन-देन शामिल हैं, को रेखांकित किया गया। आईबीबीआई ने यह भी अवगत कराया कि परिहार लेन-देन से संबंधित आंकड़े प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किए जा रहे हैं, ताकि दिवाला प्रक्रिया के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

- **एफआईयू-आईएनडी द्वारा वित्तीय खुफिया एवं फिननेट 2.0 पर प्रस्तुति:**

 एफआईयू-आईएनडी ने प्राथमिकता वाले संदिग्ध लेन-देन प्रतिवेदनों (एसटीआर) के प्रसार तथा परिचालन विश्लेषण में किए गए हालिया सुधारों के साथ-साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त बढ़ते खुफिया अनुरोधों की जानकारी दी। फिननेट 2.0 मंच को एक समेकित प्रणाली के रूप में विस्तार से समझाया गया, जो बैंकिंग, पूंजी बाजार, एनपीसीआई मंचों, ई-वॉलेट तथा आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित आंकड़ों को एकीकृत करता है। अंतरराष्ट्रीय खुफिया आदान-प्रदान के लिए एग्मोंट समूह के साथ भारत की सक्रिय सहभागिता को भी रेखांकित किया गया।

- **आई4सी द्वारा साइबर अपराध प्रवृत्तियों पर प्रस्तुति:**

 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों की उभरती प्रवृत्तियों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट ठगी तथा संगठित ऑनलाइन धोखाधड़ी, पर प्रस्तुति दी। सत्र में वास्तविक समय में खुफिया साझाकरण, प्रौद्योगिकीय क्षमता निर्माण तथा प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र के महत्व पर बल दिया गया। साइबर अपराध और धन शोधन के बीच बढ़ते निकटता को रेखांकित किया गया, जिसके मद्देनज़र अधिक सुदृढ़ विश्लेषणात्मक उपकरणों तथा प्रवर्तन निदेशालय और साइबर अपराध इकाइयों के बीच निकट सहयोग की आवश्यकता बताई गई।

- **एनसीबी द्वारा मादक पदार्थ जोखिम एवं वित्तीय जांच पर प्रस्तुति:**

 मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मादक पदार्थ जोखिम परिदृश्य प्रस्तुत किया, जिसमें हालिया जब्ती मामलों के केस अध्ययन, तस्करी किए जा रहे मादक पदार्थों की प्रवृत्तियाँ तथा विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचलित तस्करी मार्ग शामिल थे। सत्र में यह बल दिया गया कि मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को प्रभावी रूप से बाधित करने के लिए समानांतर वित्तीय जांच आवश्यक है, ताकि अपराध की आय तथा हवाला माध्यमों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा सके। मादक पदार्थ गिरोहों की वित्तीय संरचना को लक्ष्य बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी के बीच समन्वित कार्रवाई के महत्व को दृढ़ता से रेखांकित किया गया।

16. सम्मेलन के अंतिम सत्र में प्रशासनिक एवं अवसंरचना संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रवर्तन निदेशालय अपने आंचलिक और उप-आंचलिक कार्यालयों में अवसंरचना के समेकन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में उन्नत पूंजी उपयोग, भूमि अधिग्रहण तथा कार्यालय परिसरों के विकास के माध्यम से प्रयासरत है। भूमि क्रय तथा तैयार भवनों की खरीद से संबंधित कई प्रस्तावों पर विचार किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शिलांग, देहरादून, रायपुर, चेन्नई और हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर नए कार्यालय परिसरों का किराये पर अधिग्रहण, दीर्घकालिक पट्टा व्यवस्था, निर्माण पहल, अक्षय ऊर्जा स्थापन तथा भूमि क्रय के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की गई है। यह पिछले दो से तीन वर्षों में अवसंरचना विस्तार की सतत और उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो निदेशालय के दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है।

17. सम्मेलन का समापन धन शोधन, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों तथा अन्य गंभीर आर्थिक अपराधों से संबंधित वैधानिक ढांचे को प्रभावी रूप से लागू करने की प्रवर्तन निदेशालय की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के साथ हुआ। गुवाहाटी में हुए विचार-विमर्श से अंतःआंचलिक समन्वय को सुदृढ़ करने, आँकड़ा-अनुशासन को सुदृढ़ बनाने, जाँच प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने तथा वित्तीय वर्ष के उद्देश्यों को दृढ़ता और जवाबदेही के साथ पूरा करने की अपेक्षा की गई है।